

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता

राजाज्ञा संख्या : 430/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक 15 जुलाई, 2015 एवं 1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 के 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 पर रू0 20 प्रति अंक की दर पर दिनांक 01-04-2023 से 30-09-2023 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा:-

$$(379-253) \times 20 = 2520$$

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 1078 /4-1/2012

दिनांक : 15-4-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराये तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस0 जी0 ओ0 परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशानाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, उधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी।